

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2) एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11.06.2014 एवं एफ1(2) एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक 07.08.14 तथा दिनांक- 08.08.2019 एवं एफ1(2) एफडी (रूल्स)06/पार्ट-1 दिनांक 25.10.2019 की अनुपालना निम्नांकित परिवीक्षाधीन व्याख्याता (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र / निजी कारणों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	आवेदित अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
01	धर्मेन्द्र सिंह महला व्या. इतिहास	राउमावि सेधूरिया-सुवाणा -भीलवाड़ा	12.04.2021 से 23.04.2021-12 दिन 03.07.2021 से 17.07.2021-15 दिन 20.07.2021 से 16.08.2021-28 दिन 18.08.2021 से 03.09.2021-17 दिन 06.09.2021 से 26.09.2021-21 दिन 01.10.2021 से 17.11.2021-08 दिन 19.11.2021 से 17.11.2021-08 दिन 01.12.2021 से 23.12.2021-23 दिन कुल-132 दिन	12.04.2021 से 23.04.2021-12 दिन 03.07.2021 से 17.07.2021-15 दिन 20.07.2021 से 22.07.2021-03 दिन कुल 30 दिन
02	प्रियंका पचौरी व्या. इतिहास	शहीद, धर्मनन्दसिंह राउमावि जेतपुरा, म.र. मोर्छिउलेक, जिला-जयपुर	25.02.2020 से 29.02.2020-05 दिन कुल-05 दिन	25.02.2020 से 29.02.2020-05 दिन कुल-05 दिन

संबंधित संस्थाप्रधान द्वारा उक्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में असाधारण अवकाश का इन्द्राज किया जावे। स्वीकृत असाधारण अवकाश अवधि का यदि वेतन आहरित किया गया है तो उसका नियमानुसार समायोजन करें।



सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/अ.अवकाश/2020/वो-III
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक- 09.06.22

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर